राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 83/2019

पेप सिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी ढाणी मीनावाली ग्राम संयजनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. नरेश कुमार पुत्र भादरमल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ढाणी मीनावाली ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मन्जू देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति महाजन निवासी ढाणी मीनावाली ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. सन्तोष देवी पत्नी मदन सिंह राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी।
5. भंवर सिंह पुत्र सतिदान राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

निर्णय **दिनांक 15–09–2020**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20–11–2019 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित कर तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 154 के खसरा नंबर 338, 343 कुल किता 2 कुल रकबा 2.77 है. भूमि में वादी का 11/277 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का राजस्व रिकार्ड व मौका कब्जे काश्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवायें। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू. अ./20/276 दिनांक 07–02–2020 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07–02–2020 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:43:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव दिनांक 07–02–2020 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07–02–2020 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07–02–2020 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07–02–2020 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/9/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:43:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner